समाहरणालय,बक्सर
(स्थापना शाखा)

पत्रांक 01 - 0770 /स्था0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बक्सर एवं डुमरॉव

बक्सर, दिनांक 09 / 04 /2020

विषय :– बजट मुख्य शीर्ष–**2053**–जिला प्रशासन–**00**–**094**–अन्य स्थापानाएँ–**0001**–अनुमण्डलीय स्थापना (विपत्र कोड संख्या **33-2053000940001**) मांग संख्या–**33** के अन्तर्गत वेतन मद शीर्ष में वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु राशि के उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **Comprehensive Financial Management System, Govt. of Bihar** से विभिन्न ईकाईयों में विभिन्न आवंटन आई0डी0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष **2020–21** के व्यय हेतु मो0 **69,10,000/–** (उनहतर लाख दस हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवंटन **69,10,000/–** (उनहतर लाख दस हजार) रूपये को निम्नलिखित शर्तो के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार आपको उपावंटित किया जाता है :–

2. यह आवंटन वित विभाग के पत्रांक **6903**, दिनांक **13.09.2018** के आलोक में दिया जा रहा है।

3. उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या **2561**, दिनांक **17.04.1998**,पत्रांक **3388**, दिनांक **18.04.2011**, पत्रांक **422**, दिनांक **31.03.2012** एवं पत्रांक **2793**, दिनांक **04.04.2016** के आलोक में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4. इसकी मांग संख्या **33** एवं विपत्र कोड संख्या **33-2053000940001** है।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जॉच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही की जाय। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की होगी।

9. आवंटन **CFMS** के द्वारा प्राप्त है।

10. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।